CIN : U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(कार्मिक विभाग)
पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036
E-Mail : cpo@jvvnl.in

क्रमांक: जेपीडी / मुकाअ / का.अ.(त.सं.) / प.– / प्रे. 410 जयपुर दिनांक: 31-05-17

आदेश

विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निगम द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कर्मचारियों की घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं में कमी आई है परन्तु अभी भी "Zero Accident" का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु इस क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटनाओं का मूल कारण कार्य के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग एवं सुरक्षा निर्देशों की उचित पालना नहीं किया जाना है।

सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. **सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धताः–**

क्र. सं.	सुरक्षा उपकरण	मात्रा
प्रत्येक 33/11 केवी सब स्टेशन पर एक Tool Box (Lock & Key) रखा जाएगा जिसमें निम्न सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होंगेः–		
1.	अर्थिंग चेन मय टाय रॉड	2
2.	लाइफ रिसिटेटर	1
3.	रिचार्जेबल टॉर्च	1
4.	पाईप रिंच	1
टूल बॉक्स के बाहरः–		
5.	रबड के दस्ताने	2 जोडी
6.	इन्सूलेटेड प्लायर	1
7.	स्क्रू ड्राइवर	1
8.	स्पेनर सेट	1
9.	एसी वोल्टेज डिटेक्टर	1
10.	डिस्चार्ज रॉड	1
11.	लकडी की सीढी	6
12.	फर्स्ट एड बॉक्स	1
13.	अग्निशमन यंत्र	1
14.	अग्निशमन हेतु रेत भरी बाल्टियां	3
15.	रबड शीट	प्रत्येक फीडर हेतु एक
16.	सेफ्टी बेल्ट	1
लाइन पार्टी, सीसीए एवं अन्य तकनीकी कार्यों पर कार्यरत कर्मचारियों को निम्न सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगेः–		
1.	रबड के दस्ताने	2 जोडी
2.	इन्सूलेटेड प्लायर	1
3.	स्क्रू ड्राइवर	1

4.	स्पेनर सेट	1
5.	एसी वोल्टेज डिटेक्टर	1
6.	सेफ्टी बेल्ट	1
7.	लकडी की सीढी	
व्यक्तिगत रूप से:–		
8.	हेलमेट	1 (प्रत्येक 2 वर्ष में)
9.	सेफ्टी शूज	1 जोडी (प्रत्येक 2 वर्ष में)
10.	एसी वोल्टेज डिटेक्टर	1 (प्रत्येक वर्ष)

सभी वृत अधीक्षण अभियन्ता 7 दिन में उपरोक्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण प्रत्येक सब स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अग्रिम वर्षों के लिए सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक मुख्य अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्ध) को भेजी जाएगी।

2. सुरक्षित कार्य प्रणाली :–

विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करते समय सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्रमिकों द्वारा निम्न सावधानियां बरती जावें:–

1. विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करने से पूर्व लिखित शट डाउन 'Permit to Work' प्राप्त करे। यदि दो तरफ से विद्युत प्रवाह (बैक फीड) है तो विद्युत प्रवाह दोनो तरफ से बंद करवाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करे। कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही की कोई व्यक्ति लाइन पर कार्य नहीं कर रहा है 'Permit to Work' वापस करे।
2. जिस लाईन पर काम किया जाना है उसके उपर से अन्य 33/11 केवी व एल.टी. लाईन क्रॉसिंग हो रही हो तो उसका भी शटडाउन लेवे या उससे पूर्ण सुरक्षा (दोनों ओर से लाइन अर्थ करना) सुनिश्चित करे।
3. शट डाउन दिए जाने के साथ ही सब स्टेशन पर उपस्थित कर्मचारी लॉग शीट में उसका इन्द्राज करे तथा सम्बन्धित लाईन पर "Shut Down" की तख्ती लगावे। यदि एक फीडर पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शट डाउन लिया है तो उतनी ही शट डाउन प्लेट लगावें।
4. यह अवश्य देख लेवे कि लाईन बंद करवाने के बाद जिस सैक्शन पर कार्य करना है, उसे दोनो तरफ से अस्थायी अर्थ करने के बाद ही काम शुरू करे। जिस स्थान से शट डाउन लिया है वहां पर व कार्य के स्थान से एक स्पान पहले अस्थायी अर्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जावे और कार्य पूरा होने पर उसी के द्वारा अस्थायी अर्थ हटाया जाये। एक फेज पर कार्य करना हो तो भी तीनों फेज के तारों की अस्थायी अर्थ. से जोडना चाहिए। एल.टी. लाईन के न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाना चाहिए।
5. लाईन पर चढते समय सुरक्षा उपकरण (सेफ्टी बैल्ट) आदि साथ में अवश्य रखे व उन्हें काम में ले। कार्य करते समय सेफ्टी बैल्ट सदैव पोल से बांधकर ही रखना चाहिए न कि क्रास आर्म्स अथवा पिन से।

6. चालू एल.टी.लाईन पर काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे इन्सूलेटेड प्लायर, रबड के दस्ताने, सेफ्टी बैल्ट आदि जरूर काम में ले। रोड लाईट फेज को भी चालू मानकर ही काम करे।
7. विद्युत लाईनों को डिस्चार्ज ऑपरेटिंग/अर्थिंग रोड से ही करे।
8. जी.ओ.(आइसोलेटिंग स्वीच) काटने के पश्चात यह जांच कर सुनिश्चित कर ले की इसकी सभी ब्लैडो में विद्युत विच्छेद हो गया है अथवा नहीं।
9. अण्डर ग्राउंड केबल पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले उद्गम स्थान से विच्छेद (डिस्कनेक्ट) करना चाहिए तथा फिर अर्थ करना चाहिए।
10. नंगे हाथो से कभी भी अर्थ न लगाना चाहिए और न ही हटाना चाहिए। हमेशा रबड़ के दस्ताने एवं अन्य स्वीकृत सुरक्षात्मक उपकरण काम में लेने चाहिए।
11. शहरी क्षेत्र में 11 केवी लाईन का शट डाउन केवल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ही दिया जाए। केवल अधिकृत श्रमिक ही विद्युत लाईन पर कार्य करे।
12. खम्भे पर सीढी की मदद से चढे। सीढी लकडी या इन्सूलेटेड मैटेरियल की बनी होनी चाहिए। सीढी खम्भे पर लगाते समय यह ध्यान रखे कि सीढी की जगह फिसलने वाली न हो अथवा अन्य कामगार द्वारा उसको पकडकर रखा जाये।
13. खम्भे पर कार्य करते समय किसी उपकरण की आवश्यकता पडने पर, उस सामग्री को प्राप्त करने हेतु रस्सी का प्रयोग करे।
14. हर वॉल्टेज को खतरनाक समझे तथा कार्य करते समय पूर्ण सावधानी बरतें।
15. ड्रॉप आउट फ्यूज बदलने एवं बेरल निकालने या लगाने के लिए ऑपरेटिंग रॉड का प्रयोग करें।
16. हॉर्न गेप का फ्यूज लगाते समय कामगार यह सुनिश्चित करले कि विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया गया है।
17. जिन खम्भों पर डबल करंट उपलब्ध है वहां पर रिफ्लेक्टर कलर से डबल करंट की चेतावनी लिखी जाए।

3. <u>प्रशिक्षण व्यवस्था</u> :–

1. वृत कार्मिक अधिकारी, अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/ फीडर मैनेजर एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के 2 वरिष्ठ तकनीकी कामगारों की वृत स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी को विद्युत लाईनों एवं उपकरणों पर सुरिक्षत रूप से कार्य करने एवं कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उचित प्रयोग करने सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. वृत अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक माह उक्त समिति के कार्य का आंकलन किया जाएगा।
3. प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र/रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप प्रमाण पत्र पर कर्मचारी के भी हसताक्षर कराएं जाएं।

4. <u>निरीक्षण व्यवस्था :–</u>

1. निम्न सारणी अनुसार अधिकारियों द्वारा 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य कार्यस्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा:–

अधिकारी का नाम	निरीक्षण कार्यक्रम
मुख्य अभियन्ता	एक माह में एक सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधीक्षण अभियन्ता	एक माह में दो सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधिशाषी अभियन्ता	एक माह में चार सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
सुरक्षा एवं प्रशिक्षण शाखा के अधिकारी	एक माह में बारह सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल

2. निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारियों द्वारा यह देखा जाएगा कि:–
   a. सब स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान इनका प्रयोग किया जा रहा है।
   b. सभी उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे है।
   c. अन्य सुविधाएँ उपलब्ध है या नहीं।
   d. प्रत्येक सब स्टेशन पर लोग शीट जिसमें शट डाउन व कर्मचारियों की उपस्थिति का पूर्ण विवरण अंकित हो संधारित की जा रही है।
   e. सभी कर्मचारियों द्वारा "Permit to work" एवं शट डाउन तथा लाईन की अर्थिंग संबंधी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है।

3. प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी द्वारा संलग्न **<u>प्रपत्र–अ</u>** में निरीक्षण प्रतिवेदन स्वयं के हस्ताक्षर से भरा जाएगा एवं इसकी एक प्रति संबंधित सहायक अभियंता को कमीयों के निराकरण हेतु अविलम्ब भेजी जाएगी। प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति वृत कार्मिक अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी जिसके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में बताई गई कमीयों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रति माह विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, बताई गई कमियों एवं उनके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों की रिपोर्ट अग्रिम माह की 5 तारीख तक मुख्य कार्मिक अधिकारी को **<u>प्रपत्र–ब</u>** में प्रेषित की जाएगी।

5. अन्य :–

1. सभी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड में कार्य करने वाले प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध है। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में उन्हें कार्य हेतु विवश नहीं किया जाएगा।
2. यदि आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है तो तकनीकी कर्मचारी द्वारा कार्य करने से मना किया जा सकता है।
3. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किसी कर्मचारी को सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने अथवा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करने का दोषी पाये जाने पर उसे तुरन्त निलम्बित किया जाये। यदि कोई कर्मचारी आदतन इस प्रकार की अवहेलना का दोषी पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करे।

ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे 33/11 केवी सब स्टेशनों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता उपरोक्त प्रकार सुनिश्चित की जावेगी।

आदेशानुसार,

(एन.एस.नाथावत)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
9. उपनिदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
10. वरि. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
11. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
13. निजी सहायक– अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(कीर्ति पालीवाल)
कार्मिक अधिकारी (त.स.)

FORMAT-A

33/11 KV Sub-Station/Work Place Inspection Report Regarding Safety Measures					
Name of Sub-Station/Place :-				Name of Sub-Office :-	Date:-
Name of Sub-Division :-				Name of Circle :-	
The detail of Safety Equipments				Testing of Equipments	
At Sub-Station					
Equipments	To be available	Available	Short	ACTIVITY OF TEST	YES/NO
	Nos.	Nos.	Nos.		
Earthing chain	2			Oil top up of Transformer	
Life Resuscitator	1				
Re Chargeable Torch	1			Right way to approach to 33/11 KV S/s	
Pipe Rinch	1			G.O. Work is proper or Not	
Hand Gloves (Pair)	2 Pair			D.O. Work is proper or Not	
Insulated Pliar	1			Breaker work is proper or Not	
Screw Driver	1				
Spanner Set	1			Name of each Feeder in yard written or not	
AC Voltage Detector	1			On Shut Down plate proper feeder name is written or Not	
Discharge Rod	1			Details of facilities available	
Wooden Ladder	6			FACILITY	YES/NO
First Aid Box	1			Boundary Wall	
Fire Extinguisher	1			Rooms	
Soil Bucket	3			Water (Boring)	
Rubber Sheet	01 No. Per Feeder			Light (Yard)	
(i) 11 KV				Toilet	
(ii) 33 KV				Gravelling	
Safety Belt	1			Yard Cleaning	
Tool Box	1			Furniture (Chair, Table and Stool Bench)	
				Work Place Inspection	
				INSPECTION	YES/NO
				PTW taken	
				Both side earthing	
				Shut down & earthing of crossing line	
				Availablity of sefty devices	
				Use of safety devices by workers	
Remark					

Name & Designation of
Inspecting Officer

Format- B

Details of inspection of 33/11 KV sub-stations/other work places

Name of Circle ______________

Reporting month ____________

Name of Inspecting Officer	No. of inspection carried out		No. of deficiency/shortcoming poined out		No. of deficiencies rectified		No. of employees	
	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Suspended	Terminated
Chief Engineer								
Superintending Engineer								
Executive Engineer ( )								
Safety & training Team								

Personnel Officer (   ),
JVVNL, __________